हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017
भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या–1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वाकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में) (₹)
1	विपणन बोर्ड की विभिन्न मण्डी समितियों से मण्डी शुल्क के रूप में दिनांक 31.3.17 को वसूली योग्य राशि का शेष पाया जाना	5 (ii)	386.28
2	विभिन्न विपणन समितियों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि को विपणन बोर्ड द्वारा कार्य प्रगति (Work in Progress) शीर्ष के अन्तर्गत विपणन बोर्ड की सम्पति के रूप में गलत दर्शाया जाना	6	3061.78
3	विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाये गये डिपाजिट कार्यों के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में भारी राशि का अन्तर पाया जाना	7	496.08
4	Income Tax Recoverable Account की वसूली योग्य राशि का समायोजन न करना	8	600.83
5	निर्माण कार्यों के लिए दी गई अग्रिम राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	9(क)	177.93
6	विपणन बोर्ड द्वारा अपने अधिशाषी अभियन्ता को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	9(ख)	1609.46
7	कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	9(ग)	1.50
8	अन्य संस्थाओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	9(घ)	24.05
9	तुलन पत्र में दर्शाई गई सावधि जमा योजना में निवेशित राशि व सावधि जमा विवरणी में भारी अन्तर	10	297.62
10	बोर्ड परिसर के सफाई कार्य हेतु एक वर्ष में अधिक भुगतान	19	2.64

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार अध्यक्ष, सलाहकार एवं प्रबन्ध निदेशक के कार्यालयों का कार्यभार निम्न द्वारा निर्वहन किया गया।

1	अध्यक्ष	श्री सुभाष मंगलेट
2	सलाहकार	श्री देवेन्द्र श्याम
3	प्रबन्ध निदेशक	श्री एच0एस0 वाबेजा

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित अनुच्छेदों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "क"** के अनुसार दर्शाई गई है। अतः अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीध्र आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस कार्यालय को शीध्र अवगत करवाया जाए।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री सीता राम शर्मा, सहायक नियन्त्रक, एवं श्री विजय कुमार वालिया, अनुभाग अधिकारी श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा पूर्व लेखा परीक्षा प्रणाली के आधार पर किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया। विपणन बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा में कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाये जाने के कारण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षण शुल्क ₹1380922 (तेरह लाख अस्सी हजार नौ सौ बाईस रूपये मात्र) आंका गया। विपणन बोर्ड द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि का चैक संख्या 355623 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वार्षिक लेखें (Annual Accounts)

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2017 के वार्षिक लेखें चार्टड आकऊटैन्ट द्वारा तैयार किए गए। वार्षिक लेखों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) Financial Analysis on the Accounts of H.P State Agricultural Marketing Board Shimla for the period 4/16 to 3/17

Financial Data for the last three years

Income (in Lacs)

Period	Share of Market Fees/User charges from APMC	Interest on FDR"s and Saving A/C	Other Income	Total Income
2014-15	1244.26	318.67	3.81	1566.74
2015-16	951.99	424.63	7.93	1384.56
2016-17	949.56	702.00	11.74	1663.30

Expenditure (in Lacs)

Period	Salary +wages	Admn. Charges	Vehicle R+M	Other Exp.	Excess of Income over Exp.	Total
2014-15	246.62 (15.74%)	32.84 (2.09%)	9.74 (0.62 %)	33.46	1244.08	1566.74
2015-16	179.39 (12.95%)	96.22 (6.94%)	10.82 (0.78%)	16.44	1081.69	1384.56
2016-17	327.81 (19.71%)	53.42 (3.21%)	10.58 (0.64 %)	19.21	1252.28	1663.30

Note:- (Figures mentioned in the brackets are expressed as % of total income)

(i) A review of Financial Data of H.P State Agricultural Marketing Board for the last three years enumerated above reveals that there is a increase in the income of the Board in the year 2016-17 as compared to 2015-16. It is pertinent to mention here that during the year 2016-17, 25% share of market fees/user charges etc. amounting to ₹949.56 lacs have being realized by Market Board from various Market Committees as compared to ₹951.99 lacs which was realized during the period for 2015-16.

(ii) It is also noticed from the record that the outstanding amount of 25% share of Market Fee/user charges as on 31-3-17 is ₹38628957 **(परिशिष्ट "ग")** Therefore, efforts may be made for realizing the outstanding market fees/user charges because as per provisions contained under section 44 of H.P State, Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act –2005, every market committee is required to charge market fee/user on sale and purchase of notified agricultural produce @ (1%) and further as per provisions contained under section 49(3) of the Act, 25% share of market fee/user so received shall be deposited by all the Market Cmmittees with the Board.

(ग) Staff/Man power of the Board

The position of total sanctioned posts filled up post and vacancy position of the Board for the last three years is as under:-

Year	Total Sanctioned Post	Filled up posts	Vacant/posts
2014-15	58	44	14
2015-16	57	40	17
2016-17	56	38	18

Note:- The detailed position of various posts for the year 2016-17 is given in (परिशिष्ट घ) which is attached with this audit report.

5 (i) विपणन शुल्क शेयर की राशि का तुलन पत्र व विवरणी में अलग–2 दर्शाया जानाः–

वर्ष 2016–17 के आय–व्यय खाते के अनुसार मण्डी समितियों से प्राप्त 25% विपणन शुल्क शेयर को ₹94956514 दर्शाया गया है जबकि बोर्ड अधिकारी द्वारा सत्यापित विवरणी के अनुसार ₹94422104 है जिससे प्रतीत होता है कि तुलन पत्र में वास्तविक स्थिति परिलक्षित नहीं की गई है जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक/गम्भीर विषय है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(ii) विपणन शुल्क की वसूली समय पर न किये जाने के कारण ब्याज के रूप में लाखों रूपये की हानि होनाः–

विपणन समितियों से प्राप्त होने वाले 25% विपणन शुल्क शेयर की समय पर वसूली नहीं की जा रही है जिस कारण बोर्ड के लेखें वास्तविक वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते है, साथ ही बोर्ड को ब्याज की भी हानि हो रही है। यदि इस राशि को समय पर वसूल कर सावधि जमा खातों में निवेश किया जाता तो इस पर लाखों का ब्याज प्राप्त हो सकता था।

अतः **परिशिष्ट "ग"** पर दिये गये विवरणानुसार ₹38628957 जोकि 25% विपणन शुल्क शेयर के रूप में लम्बित है, की वसूली शीघ्र की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(iii) विपणन शुल्क से सम्बन्धित मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का तैयार न करनाः–

बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक 25% विपणन शुल्क शेयर की लम्बित राशि ₹38628957 है जबकि वर्ष 2015–16 में लम्बित राशि ₹59902463 थी। मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर के रख–रखाव न करने के कारण आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अतिशीघ्र अपेक्षित रजिस्टर का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विभिन्न विपणन समितियों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर खर्च की गई ₹3061.78 लाख को "Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्शाया जाना

विपणन बोर्ड के वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र की अनुसूचि–II में कार्य प्रगति "Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹310904571 बोर्ड की सम्पत्ति के रूप में दर्शाई गई है, जिसमें ₹306178432 (₹310904571–₹4726139) विभिन्न विपणन समितियों के निर्माण कार्यों पर व्यय की गई है जोकि बोर्ड की सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार उक्त राशि गलत तरीके से बोर्ड की सम्पत्ति के साथ में दर्शाने से बोर्ड की सम्पत्ति एवं दायित्वों की सही एवं वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती। अतः "Work in progress" में दर्शाई गई समितियों से सम्बन्धित ₹306178432 की राशि को इसके विरूद्व समितियों/संस्थाओं से प्राप्त ₹503206604 जिसको अनुसूचि–IV "Advances for constructions" शीर्ष के अन्तर्गत चालू दायित्व के रूप में दर्शाया गया है, के साथ समायोजित करके दर्शाया जाए। इस सन्दर्भ में वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 में भी उक्त राशियों को समायोजित करने का सुझाव दिया गया था बोर्ड द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अतः जो कार्य वास्तव में पूर्ण हो गये है उसे सम्बन्धित समिति को हस्तांतरित किया जाये "Work in Progress" व "Advance for Constructions" शीर्ष में हो रही वृद्धि को समायोजित करके तुलन पत्र में वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो।

7 विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में ₹496.08 लाख का अन्तर पाया जाना

विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गये डिपोजिट कार्य हेतु समय–समय पर धन राशि प्राप्त की गई है। इन कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अधिशाषी अभियन्ता को अग्रिम राशि भुगतान की गई है तथा शेष राशि को समिति–वार बैंक खातों में रखा गया दर्शाया गया है। विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए किए गए कार्यों से सम्बन्धित असमायोजित राशियों को अनुसूचि–II में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2017 को "Capital Work in Progress" शीर्ष के अन्तर्गत ₹306178432 (₹310904571–₹4726139) के कार्य Assests के रूप में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन डिपोजिट कार्यो के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों को भुगतान करने के लिए अनुसूचि–III में Assets के रूप में दिनांक 31.3.2017 को अधिशाषी अभियन्ता के खाते में ₹249277465 शेष दर्शाई गई है। इस प्रकार विपणन बोर्ड के Assets के रूप में ₹555455897 (₹306178432+₹249277465) दर्शाए गए है। उक्त ₹555455897 के विरूद्ध विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में इन डिपोजिट कार्यो हेतु विभिन्न समितियों से प्राप्त राशियों के को अनुसूचि–IV में दर्शाया गया है तथा दिनांक 31.3.2017 में "Current Liabilities" शीर्ष के अन्तर्गत ₹503206604 असमायोजित दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचि–IV में ही ठेकेदारों को ₹6165619 प्रतिभूति (Security) के रूप में देय है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा इन निर्माण कार्यो से सम्बन्धित कुल देनदारियां ₹59372223 (₹503206604+₹6165619) दर्शाई गई है। इस प्रकार विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों के लिए करवाए गए डिपोजिट वर्कस/कार्यो के अन्तर्गत बोर्ड के खातों में ₹496083674 (₹555455897–₹59372223) का अन्तर पाया गया। अतः अन्तर की इस राशि की संस्था स्त्तर पर पूर्ण छानबीन करके राशियों का मिलान किया जाए तथा इन सभी राशियों को समायोजित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 Income Tax Rececoverable Account शीर्ष के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि ₹600.83 लाख का समायोजन न करना

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के अनुसूचि–III में "Current Assets, Loans and Advances" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2017 को आयकर वापसी खाते में

₹60083183 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है जोकि वर्ष 2014–15 के तुलन पत्र में ₹37572150 दर्शाई गई थी । इस लेखा शीर्ष की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2004–05 से संचित होती आ रही है तथा दिनांक 31.3.2016 को इस असमायोजित राशि का शेष ₹60083183 था। अतः विपणन बोर्ड को सुझाव दिया जाता है कि आयकर के रूप में वसूली योग्य राशि के सन्दर्भ में आयकर विभाग से वर्षवार कर निर्धारण (Assessment) करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि प्राप्ति योग्य वास्तवकि राशि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जा सके।

9 अग्रिम राशि ₹1812.95 लाख का समायोजन न किये जाने बारे

बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रयोजनों/उद्देश्यों जैसे कि निर्माण कार्य अधिशासी अभियन्ता, स्टॉफ व अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों इत्यादि को दिये गये अग्रिम में से ₹181294862 की राशि समायोजन हेतु शेष है, जिसका पूर्ण विवरण इस प्रकार से है।

(क) निर्माण कार्य हेतु दिये अग्रिमः– विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि–III में "Current Asstes Loans and Advances" शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2017 को निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम राशि के खाते में ₹4771990 का शेष दर्शाया गया है जबकि बोर्ड द्वारा इसके अतिरिक्त IPH Rohroo को ₹13021000 की राशि अग्रिम के रूप में दी गई जिसे इस लेखा शीर्ष में दर्शाया जाना चाहिए था परन्तु इस राशि को Advances to others शीर्ष में दर्शाया गया, जिसे अब सही शीर्ष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये। । जॉच करने पर पाया गया कि यह राशियॉ विभिन्न संस्थाओं को निर्माण कार्यो के लिए दी गई थी लेकिन बोर्ड द्वारा न तो इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये न ही इन राशियों का समायोजन करवाया गया है। अतः अब इन राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र किये जाये तथा ₹17792990 (₹4771990+₹13021000) का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) अधिशाषी अभियन्ता को दिये अग्रिमः– वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र के अनुसार विपणन बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता के पास ₹249277465 की राशि समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है जबकि कार्यालयाभिलेखानुसार ₹160945864 की राशि समायोजन हेतु शेष थी, क्योंकि बोर्ड कार्यालय द्वारा ₹88331601 की राशि का समायोजन किया जा चुका था परन्तु इसे तुलन में नहीं दर्शाया गया है जिस कारण तुलन पत्र वास्तविक स्थिति को परिलक्षित नहीं करता है। समायोजित राशि के अनुसार वास्तविक स्थिति को तुलन पत्र में न दर्शाये

जाने/गलत आंकड़ों को तुलन पत्र में दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा लम्बित पड़ी राशि का यथाशीघ्र समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) स्टॉफ को दिये गये अग्रिमः— विपणन बोर्ड के तुलन पत्र के अनुसूचि—III में "Advances to Staff" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2017 को House Building Advance व शिक्षा ऋण के अतिरिक्त स्टॉफ अग्रिम के खाते में ₹216102 समायोजन हेतु शेष दर्शाई गई है, जबकि गत वर्ष के लम्बित अग्रिमों व वर्ष 2016—'17 में दिये गये अग्रिमों को जोड़कर ₹1234372 के कुल अग्रिम थे जिसमें से वित्तीय वर्ष के दौरान ₹1083871 के अग्रिमों को समायोजित करवा दिया गया था। इस प्रकार स्टॉफ को दिये अग्रिमों में से ₹150501 के अग्रिम ही समायोजन हेतु शेष थे। अतः तुलन पत्र में सही स्थिति परिलक्षित नहीं की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इसके अतिरिक्त शेष राशि का समायोजन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों/मण्डी समितियों को दिये गये अग्रिमः— उक्त के अतिरिक्त तुलन पत्र में विपणन बोर्ड द्वारा अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों/मण्डी समितियों से भी दिनांक 31.3.17 को ₹26549451 की राशि समायोजन/वसूली हेतु शेष दर्शाई गई थी। जिसमें IPH ROHROO को दिये गये ₹13021000 भी शामिल है जबकि इस राशि को "Advances for Construction" में दर्शाया जाना चाहिए था। अतः अब इस राशि को सही शीर्ष में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा शेष राशि का समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

M.D.H.P. State Electronics	8600
Advance legal fee recoverable from APMCs	80000
Advance to GGCA	1688741
Advance for Farmers training Camp Paunta	120000
Advance for Farmers traing Camp Kullu	40000
Advance for Farmers training Camp Chamba	20000
Advance for Director Sameti Mashobra	24000
Advances to Subhash Manglate	18416
Advances to COSAMB for study Tour	400000
Recoverale from DIVIT CHD	5750
Total	**₹2405507**

उपरोक्त क से घ तक दर्शाये अग्रिमों व **परिशिष्ट "च"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को कुल ₹181294862 समायोजन हेतु शेष है, जोकि अत्यन्त गम्भीर विषय है। संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट

1–548/2011 फिन (एल0ए0) खण्ड–1 दिनांक 26.5.2018 में लम्बित अग्रिमों का निपटारा/समायोजन हेतु कार्रवाई करने हेतु सुझाव दिया था। परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा लम्बी अवधि के व इतनी अधिक राशि के अग्रिमों के निपटारे हेतु यथोचत कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः अतिशीघ्र इन राशियों के समायोजन हेतु यथोचित कार्रवाई की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ङ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विपणन बोर्ड द्वारा अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया जा रहा है। अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव सही प्रकार से करने हेतु गत अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई थी तथा संयुक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अग्रिम रजिस्टर के रख रखाव हेतु सुझाव दिये थे परन्तु विपणन बोर्ड द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। अतः अंकेक्षण के दिये गये सुझावानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक वर्ष क अन्त में अग्रिम रजिस्टर में दर्शाई असमायोजित अग्रिम राशियों का खाता बही से मिलान करके तदानुसार ही सही असमायोजित अग्रिम राशियों को तुलन पत्र में दर्शाया जाये।

10 तुलन पत्र में सावधि जमा योजना में दर्शाई गई निवेशित राशि व सावधि जमा विवरणी में ₹297.62 लाख का भारी अन्तरः–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि III के अनुसार दिनांक 31.3.17 को सावधि जमा योजना में निवेश ₹565817568 दर्शाया गया है तथा परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सावधि जमा विवरणी **(परिशिष्ट "ज–1")** के अनुसार ₹536055191 की राशि सावधि जमा योजना में निवेशित दर्शाई गई है। इस प्रकार तुलन पत्र में सावधि जमा में ₹29762377 (₹565817568–536055191) की राशि प्रस्तुत विवरणी से अधिक दिखाई गई है जोकि अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः इस अन्तर की की विभागीय स्तर पर छानबीन करवाकर सावधि जमा की समस्त राशियों का पूर्ण बैंक विवरण अभिलेख सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करवायें ताकि इन राशियों का सत्यापन किया जा सके तथा भविष्य में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तुलन पत्र वास्तविक आंकड़ों पर ही तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि III में दिनांक 31.3.17 को विभिन्न बैंकों के बचत खातों में ₹357083992 की राशि जमा दर्शाई गई परन्तु इससे सम्बन्धित बैंक प्रमाण पत्र/बैंक समाधान विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके अभाव में उक्त राशि की अंकेक्षण

द्वारा सत्यापना नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अतिशीघ्र सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 तुलन पत्र में सी0पी0एफ0 के अन्तर्गत दर्शाई गई सावधि जमा में निवेशित राशि व प्रस्तुत सावधि जमा विवरणी में ₹32.51 लाख भारी अन्तरः–

(i) विपणन बोर्ड द्वारा तुलन पत्र में सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में ₹146061321 की राशि निवेशित दर्शाई गई है परन्तु बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सावधि जमा योजना विवरणी **(परिशिष्ट ज–II)** में निवेशित ₹142810655 का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार तुलन पत्र में सी0पी0एफ0 के अन्तर्गत सावधिक जमा योजना में ₹3250666 की राशि अधिक दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा अतिशीघ्र इस अन्तर का मिलान किया जाए तदानुसार अंकेक्षण को अवगत किया जाए। इसके अतिरिक्त सी0पी0एफ0 के बचत खाते में ₹143298.22 की राशि जमा दर्शाई गई है परन्तु इससे सम्बन्धित बैंक प्रमाण पत्र/बैंक समाधान विवरणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उक्त राशि को अंकेक्षण द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः अब सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के खातों को गलत सम्मिलित किया जाना

हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि तुलन पत्र में अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) की देनदारियों व निवेशों को भी सम्मिलित किया गया है, जोकि नियमानुसार सही नहीं है। इससे विपणन बोर्ड की वित्तीय स्थिति सही एवं वास्तविक परिलक्षित नहीं होती। विपणन बोर्ड को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अंशदायी भविष्य निधि के अलग वार्षिक लेखें तैयार करने बारे सुझाव दिया गया था परन्तु बोर्ड द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः भविष्य में इन अंशदायी भविष्य निधि खातों को अलग से दर्शाया जाए व इसके वार्षिक लेखें भी अलग से तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

12 तुलन पत्र में सी0पी0एफ0 लेखों के अन्तर्गत दर्शाई गई देनदारी की राशि तथा देनदारियों की सूची में ₹59.46 लाख का अन्तरः–

विपणन बोर्ड के वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र दायित्व पक्ष में अनूसूचि–IV में ₹152487975 (₹71249993+₹79238173+₹1999809) दायित्व के रूप में दर्शाई गई है, जबकि अंशदान भविष्य निधि रजिस्टर तथा उससे सम्बन्धित प्रस्तुत विवरणी जो कि **परिशिष्ट**

"छ" पर संलग्न है के अनुसार भविष्य निधि के खातों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्त में ₹158434467 देय थी। इस प्रकार अंशदायी भविष्य निधि के खातों में ₹5946492 (₹152487975–₹158434467) की राशि दायित्व पक्ष में कम दर्शाई गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

13 संविदाकार प्रतिभूतियों के अन्तर्गत जमा ₹61.95 लाख की राशि का विस्तृत विवरण न दिए जाने बारेः–

(क) वित्तीय वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र शीर्ष "Current Liabilities, Loans/Advance & Provision" के अन्तर्गत विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूतियों से सम्बन्धित ₹6195365 (₹6218365–₹23000) की देनदारियॉ अनुसूचि–IV में दर्शाई गई है। इन राशियों का प्रति व्यक्ति/ठेकेदार से सम्बन्धित देनदारी का विस्तृत विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः उक्त विवरण तैयार करके तथा इनका प्रतिभूति रजिस्टर तथा सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि विभिन्न संविदाकारों की प्रतिभूति राशियों की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

(ख) इसके अतिरिक्त उक्त शीर्ष "Current Liabilities, Loans/Advances & Provisions" के उप शीर्ष "Contractor Security Payable Suspense A/C" अनुसूचि–IV के अन्तर्गत कई वर्षों से ₹5099547 की राशि को Suspense A/C में दर्शाया गया है जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ठेकेदारों से प्रतिभूति के रूप में काटी गई राशि/प्राप्त की गई राशि का लेखा जोखा सही रूप से नहीं रखा जा रहा है तथा काटी गई राशि को अवर्गीकृत प्रतिभूति के रूप में "Suspense A/C" में डाला जा रहा है। गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह सुझाव दिया गया था कि इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाई गई प्रतिभूति को सही रूप से वर्गीकृत किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा अभी तक भी कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया है जिस सन्दर्भ में यथाशीघ्र कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त ₹903.37 लाख का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत न करना

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचित–IV में "अन्य देनदारियों" के शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं से निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत राशियां प्राप्त की गई दर्शाई गई है, परन्तु प्राप्त की गई इन राशियों के सन्दर्भ में विपणन बोर्ड द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत

नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न संस्थाओं से यह राशियां किस उद्देश्य हेतु प्राप्त की गई तथा विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न संस्थाओं से राशियाँ किस उद्देश्य हेतु प्राप्त की गई तथा विपणन बोर्ड द्वारा वांछित उद्देश्य की पूर्ति कर ली है अथवा नहीं। अतः इस राशियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह राशियाँ जिन–2 उद्देश्यों हेतु प्राप्त की गई थी क्या उन उद्देश्यों की विपणन बोर्ड द्वारा पूर्ति कर ली गई है अथवा नहीं?

Sr.No.	Particulars	Amount
1	Funds for Foundation Stone at Tapri	50730
2	Funds for Tapri Kinnour	2257500
3	Funds for wool mkg. Fed Shimla	10647850
4	Funds for collection center under RKVY	65940787
5	Fund for Soil Con. Control Zone	2500000
6	Grant from Animal Husbandry	5250000
7	Receipts from Animal Husbandry	500000
8	Funds for wool Fedrations (2015-16)	300000
9	HP State Co.Op.wool pro & Marketing Fed.	2500000
10	Funds from Agmark Network	390500
	Total	**₹90337367**

15 प्राप्त आय ₹25.20 लाख को चालू देनदारियाँ ("Current Liabilities") शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्शाया जानाः–

विपणन बोर्ड के तुलन पत्र की अनुसूचि–IV में चालू देनदारियाँ "Current liabilities" शीर्ष के उपशीर्ष "अन्य देनदारियों" के अन्तर्गत ₹2520455 दर्शाई गई है, जबकि यह राशि विभिन्न विपणन समितियों से उनको बोर्ड द्वारा जारी की गई लेखन सामग्री की लागत के रूप में प्राप्त की गई है। इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि बोर्ड कार्यालय के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा जिन मण्डी समितियों से यह राशियाँ प्राप्त की गई थी उन मण्डी समितियों को विभिन्न प्रकार के फार्म प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रिन्ट करवाकर जारी कर दिये गये है। अतः इस राशि को तुलन पत्र में दर्शाया जाना अनुचित है इस बारे संस्था स्तर पर जाँच की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए तथा भविष्य में इस राशि को गलत रूप से तुलन पत्र में न दर्शाया जाये।

16 भूमि एवं भवन (Land and Building) पर मूल्य ह्रास (Depreciation) की राशि में भूमि के मूल्य पर भी ह्रास की राशि को भी दर्शाया जानाः—

विपणन बोर्ड के वर्ष 2016—17 के तुलन पत्र की अनुसूचि—I के "Fixed Assets" शीर्ष के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2016—17 में "Fixed Assets" पर मूल्य ह्रास की ₹1921903 दर्शाई गई है, जिसमें भूमि एवं भवन के मूल्य ह्रास की ₹389822 भी शामिल है। आयकर अधिनियम में भूमि पर मूल्य ह्रास का कोई प्रावधान नहीं है। अतः भूमि एवं भवन की लागत को अलग—अलग किया जाए तथा केवल भवन की लागत पर ही मूल्य ह्रास लगाया जाए, ताकि विपणन बोर्ड के लाभ व हानि की सही स्थिति परिलक्षित हो।

17 भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

वर्ष 2016—17 के तुलन पत्र में "अन्य देनदारी" शीर्ष अनुसूचित—IV के अन्तर्गत ₹200000000 राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दर्शाई गई है तथा ₹49155171 की राशि ई—नेम प्रोजेक्ट के लिये भारत सरकार से तथा अन्य राशियां ट्रेनिंग एवं सेमिनार के रूप में प्राप्त की गई दर्शाई है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः— फिन (एल0ए0) आर0ए0एस0/एचपीएसएमबी/2018—24 दिनांक 10.08.2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी अनुदान राशियाँ भारत, राज्य सरकार या किसी अन्य किसी सरकारी संस्था से प्राप्त हुई हो, से सम्बन्धित समस्त पत्र, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, वाउचर, रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा इस बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तथा न ही सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये तथा यथाशीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

18 बिना पूर्वाकेंक्षण के बिल पारित किये जाने बारेः—

अंकेक्षण में पाया गया कि बिल संख्या 326 दिनांक 24.10.16 ₹14045 जोकि रिफ्रैशमेन्ट व्यय/Imprest Money से सम्बन्धित था, समायोजन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया परन्तु जिस बिल से अग्रिम राशि का भुगतान किया गया वह बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जिसके सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 145 दिनांक 08.11.2016 द्वारा अग्रिम राशि के भुगतान से सम्बन्धित बिल आदि अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करने बारे कहा गया था, परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया

गया। अतिरिक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः 1–509/2004–फिन (एल0ए0) दिनांक 05.08.2004 के अनुसार विपणन बोर्ड कार्यालय के समस्त भुगतानों से सम्बन्धित बिलों को पूर्व अंकेक्षण योजना में तैनात स्टॉफ से पारित करवाये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गये थे परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर बिल का भुगतान किया जाना सरकार के आदेशों की सरासर अवहेलना है। अतः उक्त राशि को नियमित करवाने हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाये तथा अपने स्तर पर भुगतान करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये।

19 विपणन बोर्ड कार्यालय परिसर/विश्राम गृह की सफाई हेतु ₹2.64 लाख का अधिक भुगतान करने बारेः–

विपणन बोर्ड कार्यालय परिसर/विश्राम गृह की सफाई हेतु श्री दीपक कुमार, गाँव व डा0 जुन्गा, तहसील व जिला शिमला से पत्र संख्याः एच0एम0बी0–(जी) 1–5/2005–11342 दिनाँक 02.03.16 द्वारा अवधि 01.03.16 से 28.02.17 तक ₹5500 प्रतिमाह की दर से अनुबन्ध किया गया था परन्तु सफाई का कार्य अगस्त 2016 तक ही करवाया गया तदोपरान्त अनुबन्ध अवधि में ही सफाई का कार्य ए0बी0 एन्टरप्राईज, फलैट नं0 6, ब्लॉक–12–ए0एच0बी0सी0, सन्जौली, शिमला–6 को ₹27500 प्रतिमाह की दर से अनुबन्धित किया गया जोकि पूर्व में किये गये अनुबन्ध से पांच गुणा अधिक है। इस अनुबन्ध को करने से बोर्ड निधि को ₹22000 प्रतिमाह की दर से एक वर्ष में ₹264000 का अधिक भुगतान करना पड रहा है। इससे प्रतीत होता है कि बोर्ड द्वारा फर्म को लाभ पहुंचाने के लिये जो कार्य ₹5500 प्रतिमाह में करवाया जा रहा था उस कार्य को पांच गुणा अधिक राशि देकर करवाया गया। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 153 दिनांक 10.11.2016 द्वारा बोर्ड हित में अनुबन्ध का पूर्नविलोकन करने हेतु व औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, परन्तु बोर्ड कार्यालय से कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त सफाई का कार्य ₹5500 प्रतिमाह के स्थान पर ₹27500 पर करवाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये।

20 पूर्वांकेक्षण के दौरान ₹0.50 लाख की कटौती (Retrenchment)

वर्ष 2016–17 के दौरान ₹49782 की कटौती बोर्ड के विभिन्न बिलों के पूर्वा अंकेक्षण के दौरान की गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में विपणन बोर्ड में आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करके सभी प्रकार के बिलों की सही जाँच करके ही अंकेक्षण में पारित करने हेतु प्रस्तुत किए जाएँ।

21 निष्कर्षः–

लेखाओं के रख रखाव में नियमानुसार उचित सुधार हेतु आन्तरिक पर्यवेक्षण को मजबूत किए जाने एवं विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर व लम्बित अग्रिमों के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि अंकेक्षण द्वारा बार–बार अनुरोध करने के उपरान्त भी पुराने लम्बित पैरों/असमयोजित अग्रिमों के निपटारे हेतु लेखा शाखा एवं प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त विपणन बोर्ड द्वारा विभिन्न मण्डी समितियों से दिनांक 31.3.2017 तक ₹386.28 बतौर मण्डी शुल्क/यूजर चार्जिज का 25 प्रतिशत भाग वसूली हेतु शेष है, जिसकी वसूली हेतु विशेष पग उठाये जाने की आवश्यकता है, ताकि उक्त राशि का विपणन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत प्रावधनित प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)30/76 खण्ड–11–1143–1145 दिनांक,16.02.2019 शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृतः–1 प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–171002 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इसमें सम्मिलित पैरों पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर प्रभारी निवासी अंकेक्षण योजना हि0प्र0 राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड खलीनी शिमला–2 तथा इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करवाएं।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002

3 प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड खलीनी, शिमला–171002, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में**

(क) अवधि 04/1983 से 03/1984

बोर्ड के अवधि 4/1983 से 3/1984 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियों पर की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया जिस पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है। अतः लम्बित आपत्तियों के निपटारे हेतु उचित कार्रवाई करके अनुपालना से यथाशीध्र अंकेक्षण को सूचित किया जाए। अवधि 4/1983 से 3/1984 के अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	पैरा–2 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (b)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (c)	अनिर्णीत
4	पैरा–3	अनिर्णीत
5	पैरा–4	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (a)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (b)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (a)	अनिर्णीत
9	पैरा–6 (b)	अनिर्णीत
10	पैरा–6 (c)	अनिर्णीत
11	पैरा–7	अनिर्णीत
12	पैरा–8 (a)	अनिर्णीत
13	पैरा–8 (b)	अनिर्णीत
14	पैरा–8 (c)	अनिर्णीत
15	पैरा–9 (a)	अनिर्णीत
16	पैरा–9 (b)	अनिर्णीत
17	पैरा–10	अनिर्णीत
18	पैरा–11	अनिर्णीत
19	पैरा–12 (a)	अनिर्णीत

20	पैरा–12 (b)	अनिर्णीत
21	पैरा–12 (c)	अनिर्णीत
22	पैरा–12 (d)	अनिर्णीत
23	पैरा–12 (e)	अनिर्णीत
24	पैरा–12 (f)	अनिर्णीत
25	पैरा–12 (g)	अनिर्णीत
26	पैरा–12 (h)	अनिर्णीत
27	पैरा–12 (i)	अनिर्णीत
28	पैरा–13 (a)	अनिर्णीत
29	पैरा–13 (b)	अनिर्णीत
30	पैरा–13 (C)	अनिर्णीत
31	पैरा–14 (a)	अनिर्णीत
32	पैरा–14 (b)	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (c)	अनिर्णीत
34	पैरा–14 (d)	अनिर्णीत
35	पैरा–14 (e)	अनिर्णीत
36	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
37	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
38	पैरा–15 (iii)	अनिर्णीत
39	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
40	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत
41	पैरा–15 (vi)	अनिर्णीत
42	पैरा–15 (vii)	अनिर्णीत
43	पैरा–15 (viii)	अनिर्णीत
44	पैरा–15 (ix)	अनिर्णीत
45	पैरा–15 (x)	अनिर्णीत
46	पैरा–15 (xi)	अनिर्णीत
47	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
48	पैरा–16 (ii)	अनिर्णीत

49	पैरा–16 (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा–16 (iv)	अनिर्णीत
51	पैरा–16 (v)	अनिर्णीत
52	पैरा–16 (vi)	अनिर्णीत
53	पैरा–16 (vii)	अनिर्णीत
54	पैरा–16 (viii)	अनिर्णीत
55	पैरा–16 (ix)	अनिर्णीत
56	पैरा–16 (x)	अनिर्णीत
57	पैरा–16 (xi)	अनिर्णीत
58	पैरा–16 (xii)	अनिर्णीत
59	पैरा–16 (xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा–16 (xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा–16 (xv)	अनिर्णीत
62	पैरा–16 (xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा–16 (xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा–16 (xviii)	अनिर्णीत
65	पैरा–16 (xix)	अनिर्णीत
66	पैरा–16 (xx)	अनिर्णीत
67	पैरा–16 (xxi)	अनिर्णीत
68	पैरा–16 (xxii)	अनिर्णीत
69	पैरा–16 (xxiii)	अनिर्णीत
70	पैरा–16 (xxiv)	अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/2001 से 3/2003

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–11 (1)	अंशतः निर्णीत	(श्री अशोक वत्तस, कनिष्ठ अभियन्ता तथा श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता से क्रमशः ₹14953 तथा ₹16428 के प्रतिनियुक्ति भते वसूली हेतु शेष है)
3	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	

4	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–23	अनिर्णीत	
8	पैरा–24 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–24 (3) (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–25	अंशतः निर्णीत	(श्री एम0सी0 थामस, कनिष्ठ अभियन्ता से ₹1615 की वसूली हेतु शेष है)
11	पैरा–30	अनिर्णीत	(श्री सुख राम कनिष्ठ अभियन्ता को भुगतान की गई ₹95316 समायोजन हेतु शेष है)
12	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–32	अनिर्णीत	
14	पैरा–33 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–33 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा–33 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–33 (4)	अनिर्णीत	
18	पैरा–33 (5)	अनिर्णीत	
19	पैरा–33 (6)	अनिर्णीत	
20	पैरा–33 (7)	अनिर्णीत	
21	पैरा–33 (9)	अनिर्णीत	
22	पैरा–33 (10)	अनिर्णीत	
23	पैरा–33 (11)	अनिर्णीत	
24	पैरा–33 (12)	अनिर्णीत	
25	पैरा–33 (13)	अनिर्णीत	
26	पैरा–33 (14)	अनिर्णीत	
27	पैरा–33 (15)	अनिर्णीत	
28	पैरा–33 (16)	अनिर्णीत	
29	पैरा–33 (17)	अनिर्णीत	

30	पैरा–34 (1)	अनिर्णीत
31	पैरा–34 (2)	अनिर्णीत
32	पैरा–34 (3)	अनिर्णीत
33	पैरा–34 (4)	अनिर्णीत
34	पैरा–34 (5)	अनिर्णीत
35	पैरा–34 (6)	अनिर्णीत
36	पैरा–34 (7)	अनिर्णीत
37	पैरा–34 (8)	अनिर्णीत
38	पैरा–34 (9)	अनिर्णीत
39	पैरा–34 (10)	अनिर्णीत
40	पैरा–34 (11)	अनिर्णीत
41	पैरा–34 (12)	अनिर्णीत
42	पैरा–34 (13)	अनिर्णीत
43	पैरा–34 (14)	अनिर्णीत
44	पैरा–35 (1)	अनिर्णीत
45	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–35 (3)	अनिर्णीत
47	पैरा–35 (4)	अनिर्णीत
48	पैरा–35 (5)	अनिर्णीत
49	पैरा–35 (6)	अनिर्णीत
50	पैरा–35 (7)	अनिर्णीत
51	पैरा–35 (8)	अनिर्णीत
52	पैरा–35 (9)	अनिर्णीत
53	पैरा–35 (10)	अनिर्णीत
54	पैरा–35 (11)	अनिर्णीत
55	पैरा–35 (12)	अनिर्णीत
56	पैरा–35 (13)	अनिर्णीत
57	पैरा–35 (14)	अनिर्णीत
58	पैरा–35 (15)	अनिर्णीत

59	पैरा–36 (1)	अनिर्णीत
60	पैरा–36 (2)	अनिर्णीत
61	पैरा–36 (3)	अनिर्णीत
62	पैरा–36 (4)	अनिर्णीत
63	पैरा–36 (6)	अनिर्णीत
64	पैरा–36 (10)	अनिर्णीत
65	पैरा–40 (1)	अनिर्णीत
66	पैरा–40 (2)	अनिर्णीत
67	पैरा–40 (3)	अनिर्णीत
68	पैरा–40 (4)	अनिर्णीत
69	पैरा–41 (1)	अनिर्णीत
70	पैरा–41 (2)	अनिर्णीत
71	पैरा–41 (3)	अनिर्णीत
72	पैरा–41 (4)	अनिर्णीत
73	पैरा–45 (1)	अनिर्णीत
74	पैरा–45 (2)	अनिर्णीत
75	पैरा–45 (3)	अनिर्णीत
76	पैरा–48 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा–48 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा–50	अनिर्णीत
79	पैरा–51	अनिर्णीत
80	पैरा–52 (1)	अनिर्णीत
81	पैरा–52 (2)	अनिर्णीत
82	पैरा–52 (3)	अनिर्णीत
83	पैरा–52 (4)	अनिर्णीत
84	पैरा–52 (5)	अनिर्णीत
85	पैरा–52 (6)	अनिर्णीत
86	पैरा–52 (7)	अनिर्णीत
87	पैरा–52 (8)	अनिर्णीत

88	पैरा—52 (9)	अनिर्णीत
89	पैरा—52 (10)	अनिर्णीत
90	पैरा—52 (11)	अनिर्णीत
91	पैरा—56 (3)	अनिर्णीत
92	पैरा—56 (4)	अनिर्णीत
93	पैरा—59 (1)	अनिर्णीत
94	पैरा—59 (2)	अनिर्णीत
95	पैरा—59 (5)	अनिर्णीत
96	पैरा—61 (3)	अनिर्णीत
97	पैरा—86 (1)	अनिर्णीत
98	पैरा—86 (2)	अनिर्णीत

(ग) अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6	अनिर्णीत
3	पैरा—8	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—10	अनिर्णीत
6	पैरा—16 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा—16 (ड़)	अनिर्णीत
8	पैरा—18 (छ)	अनिर्णीत
9	पैरा—20 (ड.)	अनिर्णीत
10	पैरा—22 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा—22 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा—22 (3) (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (4) (क)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (4) (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा—22 (4) (ग)	अनिर्णीत
15	पैरा—23 (क)	अनिर्णीत

16	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा–23 (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा–23 (घ)	अनिर्णीत
19	पैरा–27(1)	अनिर्णीत
20	पैरा–27(2)	अनिर्णीत
21	पैरा–31	अनिर्णीत
22	पैरा–32	अनिर्णीत
23	पैरा–35 (क)	अनिर्णीत
24	पैरा–35 (ख)	अनिर्णीत
25	पैरा–37	अनिर्णीत
26	पैरा–38	अनिर्णीत
27	पैरा–43	अनिर्णीत
28	पैरा–45 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा–46	अनिर्णीत
30	पैरा–47	अनिर्णीत
31	पैरा–48	अनिर्णीत
32	पैरा–49	अनिर्णीत
33	पैरा–50	अनिर्णीत
34	पैरा–53	अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत

9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–18	अनिर्णीत
12	पैरा–19	अनिर्णीत
13	पैरा–20	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत
15	पैरा–22	अनिर्णीत
16	पैरा–23	अनिर्णीत
17	पैरा–24	अनिर्णीत
18	पैरा–25	अनिर्णीत
19	पैरा–26	अनिर्णीत
20	पैरा–28	अनिर्णीत
21	पैरा–29	अनिर्णीत
22	पैरा–30	अनिर्णीत

(ङ) अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अंशतः निर्णीत
5	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा–18	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत

(च) **अवधि 4/2006 से 3/2007**

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अंशतः निर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत
9	पैरा–17	अनिर्णीत
10	पैरा–19	अनिर्णीत
11	पैरा–20	अनिर्णीत

(छ) **अवधि 4/2007 से 3/2008**

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–17	अनिर्णीत
12	पैरा–20	अनिर्णीत
13	पैरा–21	अनिर्णीत
14	पैरा–22	अनिर्णीत
15	पैरा–23	अनिर्णीत
16	पैरा–24	अनिर्णीत

(ज) अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–(6)	अनिर्णीत
3	पैरा–(7)	अनिर्णीत
4	पैरा–(8)	अनिर्णीत
5	पैरा–(9)	अनिर्णीत
6	पैरा–(10)	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–15	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत

(झ) अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–(6)	अनिर्णीत
2	पैरा–(7)	अनिर्णीत
3	पैरा–(8)	अनिर्णीत
4	पैरा–(9)	अनिर्णीत

(ण) अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा– 14	अनिर्णीत
2	पैरा– 15	अनिर्णीत

(ट) अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा– 15	अनिर्णीत

(ठ) अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा–15	अनिर्णीत

(ड) अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा–17	अनिर्णीत
2	पैरा–18	अनिर्णीत

(ढ) अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत
10	पैरा–13	अनिर्णीत
11	पैरा–14	अनिर्णीत
12	पैरा–15	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत
14	पैरा–17	अनिर्णीत

(ढ) अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत
10	पैरा–13	अनिर्णीत
11	पैरा–14	अनिर्णीत
12	पैरा–15	अनिर्णीत

13	पैरा–16	अनिर्णीत
14	पैरा–17	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 1.4.16 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	313
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	17
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	0
दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरो का अन्तशेष	330